

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:- P-14/Nursing/ajmer/-25205 /2024 / 83

दिनांक:- 20/02/2024

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.14 (1) एफ.डी(नियम)/2013-11 दिनांक 28.06.2013 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्सिंगकर्मि 18 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	सम्बन्धित अधिकारी	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक व पूर्ण सेवा अवधि	देय पे बन्ड/ वर्तमान में प्राप्त पे मैट्रिक्स लेवल	देय पे ग्रेड/ देय पे मैट्रिक्स लेवल
1	पुष्पा शर्मा, नर्सिंग अधिकारी	नागौर	13.11.1996	13.11.2014 18 वर्ष	9300-34800 (4200)	9300-34800 (4800)

नोट:- 1. कार्मिक को 18 वर्षीय एसीपी का नगद लाभ नर्सिंग अधिकारी पद पर वास्तविक कार्यग्रहण तिथि से देय होगा।

2. कार्मिक के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी सन्तान हुई है तो नियमानुसार यह आदेश लागू नहीं होगा।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 20/02/2024

क्रमांक:- P-14/Nursing/ajmer/-25205 /2024 / 83

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन अजमेर राजस्थान।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को पत्रांक 5960 दिनांक 13.12.2023 के क्रम में।
- सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
- आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
5550433

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh
Kumar Nawal

Designation: Director

Date :20-02-2024 11:52:53